"मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं(कामधेनु निवास) की स्थापना की नीति 2025"

1. प्रस्तावना

पशुसंगणना के आंकडो के अनुसार मध्यप्रदेश में 1.87 करोड गौवंश है, जिसमें से 80 प्रतिशत गौवंश कम दूध देने वाला विगत वर्षो में कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण एवं रसायनिक खाद के बढते उपयोग से बैलों तथा कम दूध देने वाले गौवंश की उपयोगिता कम हुई है। इसके साथ-साथ भूसे व पशुआहार की बढती कीमतों के कारण कृषकों ने कम दूध देने वाले एवं नर गौवंश को त्यागना शुरु कर दिया है। जिससे निराश्रित गौवंश, फसलों के नुकसान तथा सडक दुर्घटनाओं का कारण बनते है।

2019 की पशुसंगणना के अनुसार प्रदेश में 8.54 लाख निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश के व्यवस्थापन के लिए विगत 05 वर्षो से राज्य शासन द्वारा अनेको उपाय किए गए है, जिसमें मनरेगा के माध्यम से लगभग 3000 गौशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 2727 गौशालाएं निर्मित हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से विगत 05 वर्षो में इन गौशालाओं के निर्माण पर लगभग 600 से 700 करोड का व्यय किया गया है। शासन द्वारा इन गौशालाओं के गौवंश के चारे भूसे के लिए भी अनुदान की व्यवस्था राज्य बजट से की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 मे जिसका प्रावधान राशि रूपये 250.00 करोड है, किन्तु निराश्रित गौवंश की संख्या को देखते हुए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

राजस्व विभाग के मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन नियम 2020 में राजस्व भूमि पर वृहद गौशालाओं की स्थापना के लिए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रावधान उपलब्ध है। प्रावधान अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निजी पूंजी

निवेशकों को निराश्रित गौवंश के प्रबंधन के लिए गोपालन, नस्ल सुधार, पंचगव्य, दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि, चारा विकास, उद्यानिकी, उर्जा, जैविक खाद, आयुष तथा पर्यटन के क्षेत्रों मे वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से वृहद स्वावलंबी गौशालाएं बनाने के लिए भूमि दिये जाने की नीति की आवश्यकता है।

गौवंश से प्राप्त गोबर व गो-मूत्र के उपयोग से बायो-सी.एन.जी.,जैविक खाद एवं अन्य उत्पादों के निर्माण की नई-नई तकनीके विकसित कर ली गई है। गौपालन एवं दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि, उद्यानिकी, उर्जा, जैविक खाद, आयुष,धर्मस्व तथा पर्यटन के क्षेत्रों में नवीन तकनीकों तथा संकल्पनाओं के प्रयोग से विभिन्न व्यवसायिक इंकाईयों की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए निराश्रित गौवंश के पालन के स्वावलंबी मॉडल विकसित किया जाना प्रासंगिक है।

मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन नियम 2020 में राजस्व भूमि पर वृहद गौशालाओं की स्थापना के लिए, इस भूमि को पशुपालन एवं डेयरी विभाग को हस्तांतरण किए जाने के प्रावधान उपलब्ध है। इन्ही मूल प्रावधानों के अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निजी पूंजी निवेशकों द्वारा निराश्रित गौवंश के प्रबंधन एवं उससे संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालक हेतु वृहद परियोजनाओं की स्थापना कर स्वावलंबी मॉडल बनाने के लिए उन्हे शासकीय भूमि के उपयोग के अधिकार दिए जाने हेतु **"मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025"** है।

2. **लघु शीर्षक (Short Title)**

यह नीति **"मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025"** कहलायेंगी।

3. **परिभाषाऐ**

निम्न परिभाषा के अनुसार अर्थ/आशय इस नीति में प्रभावी रहेंगे:-

3.1 राज्य शासन से अपेक्षित है,"मध्यप्रदेश राज्य का पशु पालन विभाग" तथा केन्द्रीय शासन से अपेक्षित है,"भारत सरकार"

3.2 गौशाला से अपेक्षित, ऐसा स्थल जहाँ उचित पध्दति से निराश्रित गौवंश को आश्रय दिया जाए तथा जहॉ ऐसे गौवंश के पालन हेतु समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हों।

3.3 गौपालन से अपेक्षित है, कि गौवंश का बेहतर प्रबंधन एवं गौवंश के लिए संतुलित आहार, पानी, स्वास्थ्य, शव निष्पादन, परिसर की स्वच्छता, टीकाकरण, उन्नत प्रजनन इत्यादि की व्यवस्था हो।

3.4 "गौवंश (Cattle)" से आशय है गायों की नस्ल के सांड, बैल, गाय, बछड़ा, बछड़ी।

3.5 "निराश्रित गौवंश (Stray Cattle)" से आशय है, ऐसा गौवंश जिसका कोई मालिक व आश्रय न हो।

3.6 "उत्पादक वर्णित नस्ल का गौवंश (Productive Distinct Breed of Cattle) "से आशय है, ऐसा गौवंश जो दुधारू नस्ल जैसे गिर, साहीवाल,थारपरकर, रेड सिंधी, कांकरेज इत्यादि नस्ल का हो व इसका उपयोग परियोजना में व्यवसायिक दूध उत्पादन के लिए किया जाए।

3.7 "पंचगव्य (Panchgavy)"से आशय, गाय से प्राप्त गोबर, गौमूत्र,दूध, दही, घी से है।

3.8 "शासकीय भूमि (Government Land)" का तात्पर्य भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार राज्य सरकार या इसके किसी विभाग के स्वामित्व वाली भूमि से है।

3.9 "गोपालक संस्था" से आशय परियोजना की स्थापना एवं संचालन के लिए किसी भी फर्म/ सोसायटी/न्यास/पंजीकृत कंपनी अथवा उक्त में से दो या दो से अधिक का संघ (Consortium) जिसे आगे "गोपालक संस्था" कहा जाएगा, को भाग लेने की पात्रता होगी।संघ के रूप में 05 से अधिक संस्थाएं भाग नही ले सकेंगी।

3.10 बोर्ड से तात्पर्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड से हैं।

3.11 चयनित अभिरूचिकर्ता से आशय है कि अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाने के उपरांत साधिकार समिति से चयनित अभिरूचिकर्ता से है, जिससे अनुबंध किया जा सकेगा।

3.12 साधिकार समिति, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसे प्रस्तुत नीति लागू होने पर प्रक्रिया संगत निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होगें।

3.13 "वर्ष (Year)" का तात्पर्य किसी वर्ष के एक अप्रैल को प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है।

4. नीति के उद्देश्य (Objectives of the Policy)

4.1 मध्यप्रदेश राज्य में वृहद स्वावलंबी गौशालाओं के मॉडल तैयार करना।

4.2 निराश्रित गौवंश का उपयुक्त व्यवस्थापन करना, जहॉ उन्हे संतुलित आहार, व्यवस्थित आवास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

4.3 बजट पर न्यूनतम भार पर अधिकाधिक निराश्रित गौवंश का उपयुक्त व्यवस्थापन करना।

4.4 वृहद गौशालाओं की परियोजनाओं के माध्यम से पडत भूमि का विकास करना।

4.5 निजी भागीदारी के माध्यम से गौ-उत्पादों के निर्माण एवं विपणन की श्रंखला तैयार करना।

4.6 वैकल्पिक उर्जा निर्मित करने की नवीन तकनीकों के लिए निजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

5. नीति के प्रभावशीलता की अवधि

यह नीति मध्यप्रदेश के राजपत्र मे प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगी।

6. **प्रायोज्यता (Applicability)**

6.1 यह मध्यप्रदेश शासन की भूमि के लिए लागू होगी। इस नीति के अधीन निजी भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकेगा। यह नीति प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या वाले जिलों के लिए लागू होगी।

6.2 नीति के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग को आवंटित तथा अधिपत्य की शासकीय भूमि पर सामाजिक/ धार्मिक/ व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा निराश्रित गौवंश के आश्रय हेतु गौशाला का निर्माण व संचालन करने के साथ-साथ व्यवसायिक मॉडल स्थापित करने के लिए अनुबंध किया जा सकेगा।

6.3 नीति के अंतर्गत गोपालन, नस्ल सुधार, पंचगव्य, दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि, चारा विकास, उद्यानिकी, उर्जा, जैविक खाद, आयुष तथा पर्यटन के क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधि की ही अनुमति होगी।

6.4 नीति के अंतर्गत पशुपालन व डेयरी विभाग का आवंटित व अधिपत्य की शासकीय भूमि का लैंड बैंक बनाया जाएगा।

6.5 नीति में न्यूनतम 5000 गौवंश पालन (अधिकतम 125 एकड भूमि) अथवा इससे अधिक की परियोजनाओं को ही शामिल किया जाएगा। न्यूनतम अहर्ताओं के अतिरिक्त अनुपातिक रूप से प्रति 1000 गौवंश क्षमता में वृद्धि पर अनुबंध में 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि दी जाएगी।

6.6 उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना में गोबर, गौमूत्र व दूध से विभिन्न उत्पादों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं हेतु अधिकतम 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि को भी अनुबंध में शामिल किया जा सकेगा।

6.7 वृहद गौशालाओं में निराश्रित गौवंश के साथ, उत्पादक वर्णित नस्ल का गौवंश भी रखा जा सकता है। परियोजना में कुल गौवंश का कम

से कम 70 प्रतिशत गौवंश निराश्रित,अशक्त,गैर-दुधारू होना चाहिए। गोपालक संस्था यदि चाहे तो परियोजना में अधिकतम 30 प्रतिशत उत्पादक वर्णित दुधारू नस्ल का गौवंश रख सकेगी। अन्यथा समस्त गौवंश निराश्रित प्रकृति का होगा। किन्ही भी स्थिति मे व्यवसायिक उपयोग के लिए भैस वंश या संकर या विदेशी नस्ल की गायों का पालन नही किया जाएगा। निराश्रित गौवंश को ही शासकीय अनुदान की पात्रता होगी।

6.8 नीति में उद्देश्यो की पूर्ति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्वयंकी भूमि तथा आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय भूमि निःशुल्क पशुपालन एवं डेयरी विभाग को आवंटित की जाएगी। नीति में निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का संचालन तथा समन्वय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से मध्यप्रदेश गौसंर्वधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार आवंटित भूमि के निर्वतन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग का उपक्रम म.प्र. गौसंवर्धन बोर्ड प्रोसेस मैनेजर होगा। प्रोसेस मेनेजर के रूप में अनुलग्नक -1 अनुसार बोर्ड द्वारा अभिरूचियां आमंत्रित कर (ECI), पारदर्शी रूप से समस्त प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी।

7. **प्रतिभागी संस्था का स्वरूप**

7.1 परियोजना के संचालन के लिए किसी भी फर्म/ सोसायटी/न्यास /पंजीकृत कंपनी अथवा उक्त में से दो या दो से अधिक का संघ (consortium) जिसे आगे "गोपालक संस्था "कहा जाएगा, को भाग लेने की पात्रता होगी। संघ के रूप में 05 से अधिक संस्थाएं भाग नही ले सकेंगी। संघ (consortium) में किसी एक भागीदार/पार्टनर का 51 प्रतिशत या उससे अधिक का अंश होना अनिवार्य है।

7.2 गौपालक संस्था के संघ (consortium) के स्वरूप में होने की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी वाली संस्था को प्रमुख संस्था कहा जाएगा। संघ (consortium) की ओर से इस प्रमुख संस्था द्वारा

मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड से अनुबंध किया जाएगा तथा इसी प्रमुख संस्था से पत्रव्यव्हार/बातचीत की जाएगी।

7.3 गोपालक संस्था को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन/पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट इत्यादि की उपविधियों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। गोपालक संस्था यदि कंपनी/ फर्म/ सोसायटी/ गैर-शासकीय संस्थाओं का संघ (consortium) हो, तो उन्हें समस्त सहभागियों के हस्ताक्षर सहित आपसी अनुबंध की नोटोराइज्ड प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

7.4 गोपालक संस्था द्वारा एक से अधिक स्थान पर परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। ऐसी स्थिति में गोपालक संस्था द्वारा समस्त कार्यविधियाँ व औपचारिकताएं पृथक- पृथक परियोजनावार की जानी होगी।

8.0 क्षमता की परिसीमाऐं (Capacity Cap)

8.1 न्यूनतम 5000 गौवंश पालन की परियोजनाएं इस नीति अंतर्गत स्वीकृत की जा सकेंगी। न्यूनतम 5000 गौवंश के पालन एवं व्यवसायिक गतिविधि की स्थापना के लिए उपयोग हेतु अधिकतम 130 एकड भूमि (बिन्दु क्रं. 6.5 व 6.6 अनुसार) के लिए अनुबंध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक1000 गौवंश के प्रबंधन पर अतिरिक्त 25 एकड भूमि की भी पात्रता होगी।

8.2 गोपालक संस्था/संघ (consortium) के पास न्यूनतम 500 निराश्रित गौवंश के पालन का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव तथा संबंधित समस्त व्यवसायिक गतिविधियों का सम्मिलित रूप से न्यूनतम 10.00 करोड रू. के टर्न ओवर तथा बायोगैस संचालन का 03 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

8.3 निराश्रित गोवंश के पालन तथा वाणिज्यिक गतिविधियों की स्थापना व संचालन के लिए न्यूनतम रू. 50.00 करोड़ निवेश की परियोजनाऐं प्रस्तुत करने वाले गोपालक संस्थाएं ही अनुबंध कर सकेंगी।

9.0 गोपालक संस्था के कार्य का दायरा व अनिवार्य शर्ते

9.1 अनुबंध मे निर्धारित संख्या के अनुसार निराश्रित गौवंश के पालन हेतु समुचित व्यवस्थाएं करना गोपालक संस्था के लिए अनिवार्य होगा। गोपालक संस्था द्वारा निम्नानुसार न्यूनतम अधोसंरचनाएं व व्यवस्थाएं सृजित की जानी होंगी।

9.1.1 मध्यप्रदेश गौसवंर्धन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मानक संहिता में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9.1.2 प्रति गाय न्यूनतम 30 वर्ग फुट तथा प्रति वयस्क नर 50 वर्गफुट का शेड आवश्यक होगा।

9.1.3 नंदीयों के लिए पृथक से शेड निर्मित किए जाने होंगे।

9.1.4 100 ली/गौवंश/दिवस की आवश्यकता अनुसार गौवंश के पीने व निस्तार हेतु पानी की व्यवस्था की जानी होगी।

9.1.5 प्रत्येक शेड में साफ-सफाई, आहार डालने, इत्यादि के लिए पर्याप्त मजदूरों/संयत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सुपरविजन के लिए सुपरवाइजर की भी व्यवस्था की जानी होगी ।

9.1.6 प्रति 5000 गौवंश पर न्यूनतम 01 पशुचिकित्सक 03 पैरावेट (सहायक) की नियुक्ति की जाना आवश्यक होगा। जिसका समस्त व्यय गोपालक संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा।

9.1.7 वर्ष मे किसी भी समय गौवंश के लिए कम से कम तीन माह हेतु स्थल पर आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

9.1.8 गौवंश हेतु हवादार, साफ, आवास, पीने योग्य पानी, संतुलित आहार व सुरक्षा के प्रावधान किए जाने होंगे।

9.1.9 गौवंश के नियमानुसार टीकाकरण एवं स्वाथ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी

9.1.10 गौवंश का चिन्हांकन कराया जाएगा जो भारत सरकार के टेग से पृथक रंग का होगा, जिससे परियोजना से संबंधित गौवंश को पहचाना जा सके।

9.1.11 गोपालक संस्था द्वारा संबंधित अभिलेखों का संधारण इस प्रकार किया जाएगा जैसा की मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मानक संहिता या अभलेखों में दर्शाया गया हो।

9.1.12 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (1960) तथा भारत सरकार व राज्य सरकार के अन्य समस्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करना होगा।

9.1.13 गोपालक संस्था द्वारा गौवंश की मृत्यु की सूचना निकटस्थ पशुचिकित्सालय को उपलब्ध कराई जाएगी, शासकीय पशुचिकित्सक के समक्ष गौवंश के Post mortem के पश्चात संस्था द्वारा मृत गौवंश का सफाई व उचित रीति से निष्पादन किया जाएगा। संस्था किन्ही भी दशा मे मृत गौवंश के अपशिष्ट/चमडी/हडडी या अन्य कोई भी अंग नही बेचेगी या अन्वेषण के अतिरिक्त परिसर के बाहर नही जाने देगी।

9.1.14 गौवंश के चिकित्सीय व्यय एवं अन्य समस्त अनावर्ती एवं आवर्ती व्यय गोपालक संस्था द्वारा ही वाहन किए जाने होंगे।

9.1.15 भारत शासन या मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली छूट/ अनुदान/ प्रोत्साहन गोपालक संस्था द्वारा प्राप्त किए जा सकेंगे किन्तु इन संस्थाओं को अनुबंध के प्रावधानों केअनुसार (यदि हो तो) अनुदान प्रदाय किया जा सकेगा।

9.1.16 गोपालक संस्था समस्त वैधानिक स्त्रोंतो से कानूनी प्रक्रिया के तहत निवेश/वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगी। गोपालक संस्था द्वारा सी.एस. आर/दान अथवा इस प्रकार के अन्य instruments से निवेश/वित्तीय सहायता प्राप्त किया जा सकेगा। संस्था द्वारा समस्त

निवेशों, उसके स्त्रोतों की जानकारी चाहे जाने पर मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड को उपलब्ध कराई जानी होगी।

9.1.17 बोर्ड द्वारा चाहे जाने पर संस्था द्वारा अभिलेखों का परीक्षण, बैलेंस शीट अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज सांझा किए जाएंगे। संस्था द्वारा प्रत्येंक वित्तीय वर्ष के उपरांत बोर्ड को ऑडिट रिर्पोट प्रेषित की जाएगी।

9.1.18 किन्ही भी परिस्थितियों में गोपालक संस्था द्वारा अनुबंधित भूमि तथा भूमि पर उपस्थित राज्य शासन की किसी भी संपत्ति को बंधक / धरोहर / विक्रय/ किराए पर नही दिया जा सकेगा, न ही वह किसी अन्य को उपयोग करने की अनुमति देगा। ऐसा पाए जाने पर संस्था के समस्त भागीदारों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

9.1.19 गोपालक संस्था द्वारा स्थानीय निकायों तथा जिला प्रशासन के सहयोग व समन्वय से निराश्रित गौवंश को परियोजना स्थल तक लाया जाएगा। गौपालक संस्था द्वारा गौवंश कोपरिसर के बाहर नही छोडा जाएगा। परियोजना स्थल के आसपास के किसानों को इस गौवंश से नुकसान होने पर समस्त जवाबदारी गोपालक संस्था की होगी।

9.1.20 गौपालक संस्था को समय -समय पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति/ जिला प्रशासन/ मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड एवं राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा गौशाला व परियोजना में व्यवसायिक रूप से संचालित की जा रही गतिविधियों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

9.1.21 मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सडकों अथवा स्थानों पर खुला छोडने एवं बांधने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 358 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 254 के प्रावधान तथा उक्त धाराओं के अंतर्गत बने नियम मध्यप्रदेश नगर पालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा

अवारा पशुओं के नियंत्रण) नियम, 2023 के प्रावधानों का अनुसरण किया जाना होगा।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वरा(संशोधन)अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का अनुसरण किया जाना होगा।

10. **भूमि उपयोग के अधिकार व शर्तें -**

10.1 परियोजना की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड एवं गोपालक संस्था के मध्य शासकीय भूमि के उपयोग के अधिकार (user-rights) के संबंध में अनुबंध किया जाएगा। संबंधित भूमि पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नाम ही रहेगी।

10.2 भूमि "जैसी है वैसी "(as is basis) की स्थिति में उपयोग हेतु दी जाएगी। सामान्य परिस्थिति में परियोजना हेतु आवश्यक भूमि सुधार, फैंसिंग, पानी की व्यवस्था, बिजली, सडक व समस्त अन्य संसाधन गोपालक संस्था द्वारा ही कराए जाने होंगे। किन्ही विशेश परिस्थिति में राज्य शासन की अनुमति से व बजट की उपलब्धता अनुसार पारिस्थितिजन्य कार्य कराए जा सकेंगे।

10.3 भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर परित आदेश/नियमन इस नीति पर लागू होंगे।

10.4. शासकीय भूमि का उपयोग केवल बिन्दु क्रमांक 6.3 मे दर्शायी गई गतिविधियों में ही किया जा सकेगा। यदि शासकीय भूमि का उपयोग किसी अन्य ऐसे प्रयोजन हेतु किया जाना पाया जाता है, जो अनुबंध की सीमाओं से आवृत नहीं होता तो भूमि उपयोग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। भूमि पर संस्था द्वारा किए गए निर्माण कार्य तथा संयंत्रों को राजसात किया जावेगा तथा मध्यप्रदेश शासन में वेष्ठित (vested) किया गया माना जावेगा।

10.5. यदि गोपालक संस्था, द्वारा परियोजना का संचालन प्रारंभ होने के बाद परियोजना स्थल पर किसी अन्य पक्ष के साथ कोई अन्य

व्यवसायिक गतिविधि की योजना बनाती है, तो राज्यशासन,पशुपालन विभाग की अनुमति से नवीन निवेशक को गोपालक संस्था के consortium मे जोडे जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा। इस प्रक्रिया की रीति मध्यप्रदेश गौसंवर्धन-बोर्ड द्वारा विभाग के अनुमोदन से पृथक से जारी की जाएगी।

11. **भूमि उपयोग की समयावधि (Period for Land Use Permission)**

शासकीय भूमि उपयोक्ता अधिकार के संबंध में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड एवं संबंधित गोपालक संस्था के मध्य अनुबंध किया जाएगा , जिसमें प्रथम बार 20 वर्ष के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार गोपालक संस्था को दिए जाएंगे। दोनों पक्षों के सहमति पर आगामी समय में अनुबंध को 5-5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

12 **मध्यप्रदेश गौसंर्वधन बोर्ड/पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्य का दायरा व अनिवार्य शर्तें (Mandatory Conditions)**

12.1 मध्यप्रदेश गौसंवंर्धन बोर्ड द्वारा विभिन्न जिलों के जिला प्रशासन से समन्वय कर, लैंड बैंक का संधारण किया जाएगा।

12.2 नीति के अनुसार स्वावलंबी गौशालाओं की परियोजनाओं का आवंटन तथा उससे संबंधित समस्त तकनीकी,प्रशासकीय व कानूनी पहलूओं का समन्वय मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

12.3 नीति के अंतर्गत मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड क्रियान्वयन ऐजेंसी होगा अर्थात नीति में निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का संचालन तथा समन्वय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से समय समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश गौसंर्वधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

12.4 शासन की नीति अनुसार वित्तीय अनुदान (यदि हो तो) मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा।

12.5 जिला स्तर पर परियोजनाओ का अनुश्रवण व समन्वय जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति द्वारा किया जाएगा।

13. गौशाला का पंजीयन (Registration of Gaushala)

परियोजना अंतर्गत निराश्रित गौवंश आने के पश्चात,इसका पंजीयन मध्यप्रदेश संवर्धन बोर्ड में कराना होगा।

14. परियोजना का निरीक्षण (Project Inspection)

14.1 परियोजनाओं का निरीक्षण पशुपालन एवं डेयरी विभाग,राजस्व विभाग तथा वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित विभागों तथा अन्य आवश्यक शासकीय विभागों के द्वितीय श्रेणी के अनिम्न अधिकारियो द्वारा किया जा सकेगा।

14.2 गोपालक संस्था द्वारा परियोजना से संबंधित समस्त अभिलेख जैसे कि गौवंश की संख्या, विभिन्न उत्पादों का लेखा तथा समस्त आय व व्यय का लेखा संधारित किया जाएगा।गोपालन संस्था द्वारा निरीक्षण अधिकारियों को समस्त ऐसे अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

14.3 गौपालक संस्था द्वारा अनुबंध के अनुसार निर्धारित की गई निराश्रित गौवंश संख्या को रखा जाना अनिवार्य होगा। गोपालक संस्था को परियोजना स्थल पर गौवंश उपलब्ध कराए जाने के उपरांत भी यदि निराश्रित गौवंश की संख्या कम पाई जाती है अथवा गोपालक संस्था द्वारा गौवंश को लेने से इन्कार किया जाता है, तो मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड/ जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति द्वारा विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुबंध में निर्धारित गौवंश संख्या से कम पाए गए गौवंश की संख्या के अनुसार अधिकतम राशि रू.75/- प्रति दिवस प्रति गौवंश का दण्ड अध्यारोपित किया जा सकेगा, जब तक वह संख्या पूरी ना कर ले। गोपालक संस्था पर दण्ड अभिरोपित होने के 15 दिवस के भीतर राशि, जिला गौपालन एवं पशुधन संर्वधन समिति के खाते में जमा करानी होगी।

15. आंकड़ों का अनुश्रवण एवं प्रस्तुतिकरण (Data monitoring and submission)

15.1 गोपालक संस्था द्वारा परियोजना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन पशु पालन विभाग को प्रदाय किया जाएगा। उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं मासिक प्रगति प्रतिवेदन से जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति एवं मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड को अवगत कराएंगे।

15.2 साधिकार समिति द्वारा द्वारा प्रत्येक 06 माह में समस्त परियोजनाओं की समीक्षा की जाएंगी।

15.3 नीति अंतर्गत चयन के मापदण्डों तथा अनुबंधों की शर्तों में मध्यप्रदेश गौवसंवर्धन बोर्ड की अनुशंसा पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

16. परियोजना का हस्तांतरण (Transfer of Project)

गोपालक संस्था को परियोजना के किसी भी चरण में पशु पालन विभाग के अनुमोदन के बगैर किंसी अन्य निवेशक को परियोजना के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। हस्तांतरण किए जाने पर नवीन गोपालक संस्था द्वारा समस्त अनुबंध पृथक से किए जाएंगे। नवीन संस्था के चयन तक मध्यप्रदेश गोसंवर्धन बोर्ड, प्रदेश में पूर्व से संचालित गौशाला संस्था को संचालन का कार्य सौप सकेगा,तथा साधिकार समिति की अनुमति से इसके लिए तत्समय नियम बनाएं जा सकेंगे।

17. आवंटित परियोजना का समर्पण(surrender of project allotment)

17.1 गोपालक संस्था किसी भी चरण में परियोजना के समर्पण हेतु स्वतंत्र होगा किन्तु इसके लिउसे मध्यप्रदेश गौसवंर्धन बोर्ड को 180 दिवस पूर्व समर्पण की सूचना देनी होगी। समर्पणकिए जाने पर ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किए गए समस्त व्यय या अन्य कोई भी निवेश की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा अथवा शासन के किसी अंग द्वारा देय नहीं

होंगी तथा गौपालक संस्था द्वारा निर्मित समस्त अधोसंरचनाऐं, संयंत्र, अचल संपत्तियाँ राजसात कर ली जाऐगी।

17.2 यदि किन्ही परिस्थितिवश संघ (consortium) की प्रमुख संस्था परियोजना से अलग होना चाहती है, तो उसे बिन्दु क्रमांक 18.1 का पालन करते हुए समर्पण की सूचना देनी होगी। संघ के प्रमुख संस्था के पृथक होने पर बोर्ड द्वारा पुनः अभिरूचि अभिव्यक्त कर कार्यवाही की जानी होगी।

18. अनुबंध अनुसार गौपालक संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार गौशाला का संचालन ना करने पर अथवा अनुबंध अवधि के मध्य में छोडे जाने पर उसके द्वारा किए गए समस्त व्यय तथा अन्य कोई भी निवेश की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा अथवा शासन के किसी अंग द्वारा देय नहीं होंगी तथा गौपालक संस्था द्वारा निर्मित समस्त अधोसंरचनाऐं, संयंत्र, अचल संपत्तियाँ राजसात कर ली जाऐगी। अनुबंध की अवधि पूर्ण होने पर गौपालक संस्था द्वारा किये गये निवेश की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नही की जावेगी तथा समस्त अचल संपत्तियां राज्य शासन की होंगी।

19. मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 के किसी भी नियम/प्रावधान/प्रकिया को आवश्यकता पडने पर साधिकार समिति के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकेगा।

प्रबंध संचालक
म.प्र.गौसंवर्धन बोर्ड
भोपाल

अनुलग्नक -1

पशुपालन विभाग को आवंटित भूमि के निर्वतन की प्रक्रिया

नीति में उद्देश्यो की पूर्ति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग को आवंटित नजूल, बाह्य नजूल अथवा ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों का निर्वतन निम्नानुसार प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा -

1. नीति में उददेश्यो की पूर्ति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्वयं की भूमि तथा आवश्यकता अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय भूमि निःशुल्क पशुपालन एवं डेयरी विभाग को आवंटित कर अंतरित की जाएगी।
2. तदनुसार अंतरित एवं आवंटित भूमि के निर्वतन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग का उपक्रम मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड प्रोसेस मैनेजर होगा। प्रोसेस मेनेजर के रूप में बोर्ड द्वारा मुख्यतः व्यवसायिक सलाहकारों का चयन, प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, अभिरूचियॉ आमंत्रित करना (EOI), पारदर्शी रूप से प्रक्रिया संचालित करना आदि शामिल होगा। बोर्ड द्वारा आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों से संबंधित अन्य विभागों के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकेगा तथा आवश्यकता होने पर उनका मानदेय तय कर सकेगा।

3. बोर्ड द्वारा दायित्वों का निर्वहन निम्न रीति से किया जाएगा -

3.1 पशुपालन एवं डेयरी विभाग को अंतरित भूमि चिन्हांकन एवं उसके संबंध मे निर्धारित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया जाता है। बोर्ड इन दस्तावेजों कोतैयार करने के लिए आवश्यकता अनुसार भूमि संबंधि समस्त जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर से प्राप्त करेगा।

3.2 बोर्ड द्वारा अंतरित भूमि का स्वामित्व पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग के अभिलेखों मे दर्ज होने की पुष्टी उपरांत, इस भूमि के चिन्हांकन, भूउपयोग, रकबा, कब्जा पत्रक आदि बाबत जानकारी तैयार कर वांछित प्रतिवेदन पशुपालन एवं डेयरी विभाग को भूमि के

निवर्तन हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रेषित किया जाएगा।

3.3 आवश्यकता होने पर बोर्ड द्वारा व्यवसायिक सलाहकार रखा जा सकेगा। व्यवसायिक सलाहकार के माध्यम से प्रश्नाधीन अंतरित भूमि पर उददेश्यों के पूर्ति हेतु निराश्रित गौवंश के पालन के साथ-साथ गोपालन, नस्ल सुधार, पंचगव्य, दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि, चारा विकास, उद्यानिकी, उर्जा, जैविक खाद, आयुष तथा पर्यटन के क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को स्थापित तथा संचालित करने के लिए निजी भागीदारी आमंत्रित किए जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण तथा शर्तों के संबंधित दस्तावेज तैयार कराएं जाएंगे।

4.0 पशुपालन एवं डेयरी विभाग से उक्त भूमि के निर्वतन की अनुमति प्राप्त कर, बोर्ड के प्रबंध संचालक, अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण (EOI) का विज्ञापन प्रसारित करेंगे।अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी -

4.1 अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन बोर्ड द्वारा आवश्यकता अनुसार देश के मुख्य समाचार पत्रों में किया जाएगा। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सूचना का प्रकाशन दोहराया जा सकेगा। सूचना का प्रकाशन बोर्ड/विभाग की वेबसाईट पर भी किया जाएगा।

4.2 जारी EOI में Pre-bid Meeting का प्रावधान होगा। Pre-bid Meeting की तिथी EOI के अभिलेख में स्पष्ट अंकित की जाएगी।

4.3 EOI जारी करने के उपरांत इच्छुक गोपालक संस्था द्वारा भूमि का आवलोकन किया जा सकेगा। स्थानीय तौर पर संबंधित जिले के उपसंचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं भूमि के संरक्षक (custodian) होंगे।

4.4 गोपालक संस्था को अभिरूचि में अभिव्यक्ति के लिए बोर्ड के पास Earnest Money Deposit (EMD) जमा की जाना होगी। अभिरूचि में न्यूतम 5000 गौवंश की योजना के लिए 125 एकड भूमि के साथ 50 लाख की EMD ली जाएगी। 5000 गौवंश की योजना में अतिरिक्त प्रति

1000 गौवंश की वृद्धि के लिए 25 एकड भूमि चाहे जाने पर राशि रूपए 10.00 लाख की अतिरिक्त EMD जमा करना होगी।

4.5 परियोजना की स्थापना के विभिन्न चरणों का समयबद्ध कार्यक्रम भी अभिरूचि में इंगित किया जाएगा।

4.6 बोर्ड द्वारा (EOI) मे इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि परियोजना पूर्ण करने की अवधि क्या होगी।

5.0 आमंत्रित अभिव्यक्तियों का परीक्षण

5.1 प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी/वित्तीय परीक्षण निम्नानुसार गठित परीक्षण समिति के द्वारा किया जाएगा:-

1	संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग सह प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल।	अध्यक्ष
2	प्रबंध संचालक,राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल।	सदस्य
3	वित सलाहकार,संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी,मध्यप्रदेश।	सदस्य
4	चार्टेड अकाउटेंट, मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड,भोपाल।	सदस्य
5	व्यवसायिक सलाहकार (यदि कोई हो तो)	सदस्य
6	व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारी (संख्या-परियोजना की आवश्यकता अनुसार)	सदस्य
7	उपसंचालक,मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड,मध्यप्रदेश भोपाल।	सदस्य-सचिव

5.2 उक्त समिति द्वारा इस नीति में अभिलिखित मापदण्डों के अतिरिक्त Precondition/ eligibility criterion के मापदण्ड भी निर्धारित किए जा सकेंगे।

6.0 परीक्षण समिति द्वारा प्रशासकीय विभाग को निर्णय के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

7.0 प्रशासकीय विभाग द्वारा माननीय मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार साधिकार समिति गठित की जाएगी-

1	सचिव,पशुपालन एवं डेयरी ,मध्यप्रदेश शासन	सदस्य सचिव
2	संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल।	सदस्य
3	प्रबंध संचालक,राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल।	सदस्य
4	व्यवसायिक सलाहकार (यदि कोई हो तो)	सदस्य
5	व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, विशेष आमंत्रित सदस्य (संख्या-परियोजना की आवश्यकता अनुसार)	सदस्य

7.1 अनुशंसा प्राप्ती के 30 दिवसों के भीतर साधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर बोर्ड को सूचित किया जाएगा, अन्यथा सफल अभिरूचिकर्ता को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा जमा कराई गई EMD राशि वापस लेते हुए अभिरूचि वापस ले ली जाए।

8.0 सफल अभिरूचिकर्ता के अलावा शेष अभिरूचिकर्ता की EMD राशि बोर्ड द्वारा भेजे गए वित्तीय प्रस्ताव पर राज्य सरकार से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के एक पखवाडे में वापस कर दी जाएगी।

9.0 राज्य शासन से अभिरूचिकर्ता के चयन की सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड, द्वारा चयनित गोपालक संस्था को इसकी सूचना दी जाएगी।

10.0 चयनित गोपालक संस्था द्वारा (EMD के अतिरिक्त) मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के नाम से 5000 गौवंश की परियोजना हेतु 50.00 लाख

की Performance guarantee, bank guarantee, सावधि जमा रसीद के रूप बोर्ड को जमा कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1000 गौवंश की वृद्धि पर राशि रूपये 10.00 की अतिरिक्त Performance guarantee जमा कराई जाएगी।

11.0 चयनित गोपालक संस्था द्वारा स्वीकृती की सूचना प्राप्ती के 90 दिनों के भीतर Performance guarantee (EMD के अतिरिक्त) को जमा कराया जाना आवश्यक होगा। 90 दिवसों के भीतर राशि जमा न कराए जाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अधिकतम 01 माह का समय और दिया जाएगा। औचित्यपूर्ण कारणों से चयनित गोपालक संस्था द्वारा 01 माह की अवधि ली जाने पर भी राशि जमा किया जाना संभव नही हो पा रहा है,तो गुण दोष के आधार पर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा इस अवधि को 01 माह के लिए 12 प्रतिशत ब्याज सहित और बढा सकेंगे। यदि निर्धारित समयावधि में भी चयनित गोपालक संस्था द्वारा शेष राशि जमा नही की जाती है,तो युक्तियुक्त करण के साथ राशि जमा करने के लिए साधिकार समिति द्वारा एक अवसर विशेष अनुमति स्वरूप 01 माह का अंतिम समय दिया जाएगा। यदि उक्त समय में भी राशि जमा नही की जाती है तो धरोहर राशि राजसात करते हुए आवंटन कार्यवाही निरस्त कर दी जाएगा और पुन (EOI) जारी की जाएगी। ऐसी स्थिति में ऐसा निविदाकार पूनः नीलामी मे व्यक्तिगत भागीदारी या consortium के सदस्यों के रूप मे भाग नही ले सकेगा।

12.0 समस्त राशियो की प्राप्ती के उपरांत मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा चयनित गोपालक संस्था के पक्ष मे भूमि के उपयोग के संबंध मे अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसे चयनित गोपालक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों अनुसार 30 दिवसों के भीतर पंजीकृत करवाएगा। गोपालक संस्था यदि कंपनी/फर्म/ सोसायटी/ गैर शासकीय संस्थाओं का संघ (**consortium**) हो तो, संस्था/संघ द्वारा अधिकृत व्यक्ति अनुबंध करेगा।

13.0 अनुबंध की सत्यापित प्रतिलिपि पशुपालन एवं डेयरी विभाग को प्रस्तुत किए जाने पर भूमि का कब्जा बोर्ड द्वारा अनुबंधित चयनित गोपालक संस्था को सौपा जाएगा।

14.0 राज्य सरकार को, किसी भी प्रस्ताव को नियमों के अधीन बिना कोई कारण बताए, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। इस संबंध में राज्य सरकार का अंतिम निर्णय प्रस्तावदाताओं को मान्य करना अनिवार्य होगा।

15.0 अधिपत्य प्राप्ती की तिथी से 03 माह के भीतर स्थल पर चयनित गोपालक संस्था द्वारा आवश्यक अनुमतियॉ/ अनापत्तीयॉ /लाईसेंस आदि प्राप्त करने की कार्यवाही कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

16.0 परियोजना क्रियान्वयन की समयावधि

क्र.	क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधि	अनुबंध के उपरांत समयावधी
1	ले-आउट प्लान,फेंसिंग,बिजली ,पानी व्यवस्था व अन्य	06 माह
2	अनुबंध में उल्लेखित कुल निराश्रित गौवंश संख्या के 30 प्रतिशत का व्यवस्थापन	12 माह
3	अनुबंध में उल्लेखित कुल निराश्रित गौवंश संख्या के 70 प्रतिशत का व्यवस्थापन	24माह
4	अनुबंध में उल्लेखित शतप्रतिशत निराश्रित गौवंश संख्या का व्यवस्थापन	36माह

16.1 गोपालक संस्था द्वारा निर्धारित संख्या के 30 प्रतिशत निराश्रित गौवंश का पालन प्रारंभ करने के उपरांत मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने पर ही किसी व्यवसायिक गतिविधि के लिए निर्माण किया जा सकेगा।

16.2 निर्धारित संख्या के 70 प्रतिशत गौवंश का पालन प्रारंभ करने पर व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

17.0 अन्य ऐसी राशि/पशु/सामग्री/गतिविधि, जो अभिरूचि में अनिवार्य हो गोपालक संस्था को समयावधि मे पूर्ण करनी होगी।

18.0 अनुबंध मे संशोधन के लिए प्रचलित नीति के अंतर्गत माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

19.0 गोपालक संस्था के चयन का सूत्र -

कुल प्राप्तांक = (गुणवत्ता आधारित मापदण्डों के प्राप्तांक ×0.75) + (वित्तीय बचत आधारित मापदण्डों के प्राप्तांक ×0.25)

19.1 गुणवत्ता आधारित चयन के मापदण्ड -

गतिविधि	**विवरण**	**मापदण्ड**	**अंक**
गौपालन (कुल प्राप्तांक 20)	गौपालन का अनुभव (न्यूनतम 03 वर्षो का अनुभव अनिवार्य)	500 से 1000 गौवंश होने पर	10
		1000 से 5000 गौवंश होने तक	15
		5000 गौवंश या अधिक होने पर उपर	20
व्यवसायिक अनुभव (न्यूनतम 03 वर्ष)(कुल प्राप्तांक 45)	बायोसीएनजी उत्पादन का	वार्षिक टर्नओवर 10 करोड या अधिक	15
	नस्ल सुधार/दूध उत्पादन /दुग्ध प्रसंस्करण का	वार्षिक टर्नओवर 1 करोड या अधिक	5
	चारा विकास/सायलेज व्यवसाय में	वार्षिक टर्नओवर 1 करोड या अधिक	10
	सौर उर्जा व्यवसाय में	वार्षिक टर्नओवर 5 करोड या अधिक	5
	कृषि/उदयानिकी में	वार्षिक टर्नओवर 1	5

		करोड या अधिक	
	पर्यटन व्यवसाय में	वार्षिक टर्नओवर 2 करोड या अधिक	5
प्रस्तुत परियोजना की अनुमानित लागत (कुल प्राप्तांक 15)	डीपीआर में प्रति 1000 गौवंश (न्यूनतम 5000 गौवंश आवश्यक) पर अनुमानित टर्नओवर	रूपए 12 करोड/वर्ष के प्रस्ताव पर	5
		रूपए टर्नओवर 14 करोड/वर्ष के प्रस्ताव पर	10
		रूपए टर्नओवर 16 करोड व अधिक /वर्ष के प्रस्ताव पर	15
प्रस्तुतीकरण (कुल प्राप्तांक 20)			20
कुल प्राप्तांक			100

19.1.1 गोपालक संस्था का "गौपालन में अनुभव" पर प्राप्तांक पाने हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रमुख संस्था द्वारा स्वयं अथवा consortium की दशा में किसी सहयोगी संस्था द्वारा सीधे तौर पर गौशाला संचालन का अनुभव होना चाहिए तथा ऐसी संस्था को किसी राज्य के गोसेवा आयोग अथवा बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। अभिलेखों के साथ संबंधित गोसेवा आयोग/बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा गौशाला के संबंध में संक्षिप्त टीप प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। किसी राज्य में गोसेवा से संबंधित बोर्ड/आयोग के न होने की स्थिति में संबंधित राज्य के फर्म एण्ड सोसायटी अधिनियम अथवा न्यास के अधिनियम में पंजीयन आवश्यक होगा इसके साथ ही भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में उसका पंजीयन अनिवार्य होगा। उपरोक्त अर्हता पूर्ण न करने की स्थिति में "गोपालन का अनुभव" पर शून्य प्राप्तांक होंगे।

19.1.2 गोपालक संस्था द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के साथ संलग्न गौशाला की रचना व मानचित्रों के आधार पर गौवंश के रखे जाने की प्रस्तावित क्षमता का आंकलन किया जाएगा। मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा

जारी न्यूतम मानक संहिता के अनुसार समस्त न्यूनतम मानदण्डों का पालन आवश्यक होगा।

19.1.3 गोपालक संस्था को अभिरूचि की अभिव्यक्ति में दर्शाए विस्तृत परियोजना अभिलेख (Detailed Project Report) में गौवंश के आश्रय हेतु शेड, भूसा चारा गोदाम, पानी की व्यवस्था इत्यादि की ड्राईंग डिजाईन परियोजना के स्थलवार पृथक-पृथक दर्शायी जानी होगी। विस्तृत परियोजना अभिलेख मे गौवंश के पालन, प्रबंधन, आहार, पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित समस्त जानकारी सम्मिलित करने के साथ-साथ परियोजना की आत्मनिर्भरता, निवेश, लाभ एवं व्यवहार्यता संबंधी समस्त आंकडे व योजना प्रस्तुत करनी होगी।

19.1.4 मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा उपयुक्त अभिव्यक्तियों को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें परियोजना से संबंधित समस्त वित्तीय व भौतिक पहलूओं को दर्शाया जाना होगा।प्रस्तुतीकरण में निराश्रित गौवंश के व्यवस्थापन की प्रस्तावित संख्या के लिए आहार व पालन हेतु आवश्यक व्यय की व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया जाना होगा।

19.1.5 प्रस्तुतीकरण के समय उत्पादों के विपणन के लिए आवश्यक लाईसेंस, अनुमतियॉ इत्यादि के साथ-साथ विभिन्न कम्पनियों/संस्थानों से औपचारिक अनुबंध भी प्रस्तुत करने का परामर्श होगा।

19.1.6 प्रस्तुतीकरण के समय गोपालक संस्था के प्रतिनिधि अथवा संघ (consortium) की स्थिति में समस्त प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

19.2 वित्तीय बचत आधारित चयन के मापदण्ड हेतु अंक -

19.2.1 शासन द्वारा निराश्रित गौवंश के लिए निर्धारित अनुदान राशि की अवधि के आधार पर वित्तीय बचत के अंको का निर्धारण किया जाएगा,जो की निम्नानुसार है :-

अ) गोपालक संस्था द्वारा निराश्रित गौवंश के लिए शासन द्वारा तत्समय निर्धारित अनुदान राशि की मांग की जा सकेगी।

ब) गोपालक संस्थाओं से प्राप्त कुल प्रस्तावों में से न्यूनतम वर्षों के लिए अनुदान की मांग करने वाली संस्था को आधार मानकर शेष प्रस्तावों की गणना की जाएगी।

गणना की विधि :-

$$\frac{\text{प्राप्त कुल प्रस्तावों में से न्यूनतम अवधि के लिए अनुदान की मांग अवधि (वर्षों में)}}{\text{गणना हेतु प्रस्तुत गोपालक संस्था द्वारा की गई अनुदान की मांग अवधि (वर्षों में)}} \times 100$$

* अनुदान का आशय, राज्य शासन द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश के व्यवस्थापन के लिए दिए जाने वाले अनुदान से है। अभिरूचि (EOI) के प्रकाशन जारी होने की दिनांक को पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश को शासन द्वारा जिस दर से अनुदान दिया जा रहा है, अनुबंध में अंकित समयावधि के लिये उसी दर से अनुदान मान्य होगा।

20.0 अनुबंध मे संशोधन के लिए प्रचलित नीति के अंतर्गत माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी।

21.0 समयावृध्दि (Extension of time)

21.1 DPR में दर्शायी गई परियोजना समयावधि मे पूर्ण न होने की दशा मे तर्कसंगत कारण तथा संस्था द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों के आधार पर चयनित गोपालक संस्था द्वारा आवेदन देने पर दो बार छः-छः माह की अवधि के लिए समय सीमा बढाई जा सकेंगी। उक्त अवधि समाप्ती होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण न होने की दशा में EMD एवं Performance guarantee राजसात की जा सकेगी तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा तथा स्थल पर किए गए समस्त अचल संपत्तीयॉ राजसात की जाएंगी।

21.2 विस्तृत परियोजना अभिलेख में दर्शाई गई गतिविधियों को निर्धारित समय-अवधि के अंतर्गत पूरा करने में गोपालक संस्था की ओर से विलंब होता है,तो मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड गोपालक संस्था पर वित्तीय पेनल्टी लगा सकेगा, जिसका समायोजन EMD तथा Performance guarantee की जमा राशि से किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के उपरांत भी यदि समयावधि में गतिविधिया पूर्ण नही की जाती है तो बोर्ड द्वारा एकतरफा अनुबंध को निरस्त किया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किए गए समस्त व्यय या अन्य कोई भी निवेश की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा अथवा शासन के किसी अंग द्वारा देय नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में गोपालक संस्था द्वारा EMD, performance guarantee, निर्मित समस्त अधोसंरचनाऐं, संयंत्र, चल-अचल संपत्तियाँ राजसात कर ली जाऐगी।

21.3 यदि यह विलंब का कारण, गोपालक संस्था के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हो, तो साधिकार समिति की अनुशंसा से मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड तथा गोपालक संस्था के समन्वय से जैसा कि उचित समझा जाए, समय सीमा का विस्तार किया जा सकेगा।

21.4 अनुबंध निरस्त या पूर्ण न कर पाने की दशा मे गोपालक संस्था या उसकी किसी भी सहयोगी संस्था द्वारा कोई भी वित्तीय या दीवानी दावा प्रस्तुत नही किए जा सकेंगे।

22. मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 के किसी भी नियम/प्रावधान/प्रकिया को आवश्यकता पडने पर साधिकार समिति के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकेगा।

प्रबंध संचालक
म.प्र.गौसंवर्धन बोर्ड
भोपाल